



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47369-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - ए संख्या - 7332/2025

मसान अली और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: एस.के. सिंह वशिष्ठ
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: रवि रंजन

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2025 को पारित आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर निष्पादन आवेदन को पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित कर दिया गया था।
2. दलीलें प्रस्तुत की गई हैं कि यद्यपि न्यायाधिकरण ने अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी की तिथि से वेतन के भुगतान का निर्देश दिया था, कोई राशि नहीं दी गई।
3. जब रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष आई, तो दिनांक 23.05.2025 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों को न्यायालय द्वारा नोट किए गए पहलू पर अनुदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया और यह निर्देश दिया गया कि यदि न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं को कोई वेतन नहीं दिया गया है, तो प्रत्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि वे अगली तिथि से पूर्व आवश्यक कार्रवाई करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तत्पश्चात्, शपथपत्र दायर किए गए जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* दिसंबर, 2006 से जून, 2019 की अवधि के वेतन बकाया के भुगतान का उल्लेख किया गया।

5. आज दिनांक 23.02.2026 का एक अन्य शपथपत्र दायर किया गया है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह इंगित किया गया है कि अक्टूबर 01, 2000 से जुलाई, 2006 की अवधि के वेतन बकाया का भुगतान अक्टूबर, 2006 में ही कर दिया गया था और अगस्त, 2006 से नवंबर, 2006 के दौरान नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया था, जिससे याचिकाकर्ताओं को संपूर्ण वेतन बकाया का भुगतान हो गया है।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित संपूर्ण राशि याचिकाकर्ताओं को दे दी गई है, जो पहलू विवादित नहीं है, वर्तमान रिट याचिका में कुछ भी अग्रतर किया जाना शेष नहीं है। तदनुसार, यह निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

9 मार्च, 2026

पी श्री/एके शुक्ला